:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर (म0प्र0) ::

दूरभाष क्रमांक – (07325) 241000 (का.) 242000 (नि.) 242041 (फैक्स)
Email- dmburhanpur@nic.in

क्रमांक/क/न्या.लि./2018/ 256

बुरहानपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2018

|| आदेश ||

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है । कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फंस जाते है और घायल हो जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है । इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है । चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड रहा है । निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है । इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः बुरहानपुर जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं दीपक सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला बुरहानपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ:-

यह कि बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया जाता है ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश दिनांक 10/01/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 10/01/2018 से दिनांक 09/03/2018 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(दीपक सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बुरहानपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/क/न्या.लि./2018/ 246

बुरहानपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर रेंज इंदौर
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, खरगोन रेंज, खरगोन,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर
6. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बुरहानपुर/ नेपानगर
10. नगर पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नेपानगर
12. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .... जिला बुरहानपुर
13. प्रभारी अधिकारी, जिला विशेष शाखा, बुरहानपुर
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, बुरहानपुर
15. जनसम्पर्क अधिकारी, बुरहानपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, बुरहानपुर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. थाना प्रभारी, थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बुरहानपुर (म.प्र.)